वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम– 584

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 2579 दि. 13.09.12

आदेश

राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 55 ( ) पीए / एसई / डीएलबी / 2012 / SWM / 5281 जयपुर दिनांक 25.07.2012 के द्वारा निम्न अधिसूचना जारी की गयी है।

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 45 की उपधारा (1) के खण्ड (a) व (b) में शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट व कूडा करकट इत्यादि को हटाये जाने हेतु नगर पालिकाओं के लिये बाध्यकारी कर्तव्य का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत संघ एवं अन्य प्रकरण में पारित निर्देशों के क्रम में नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 की सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पूर्ण अनुपालना किया जाना अनिवार्य है। 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000' के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिदिन सडकों की सफाई, नालियों की सफाई, घरों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जाना प्रमुख कार्य है। विभाग द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमंडल ज्ञापन क्रमांक एफ. 55( )पीए / एसई / डीएलबी / 2012 / SWM दिनांक 19 जून 2012 के क्रम में मंत्रीमण्डलीय आज्ञा सं. डी. 144 / मं.मं. / 2012 जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2012 (144 / 2012) द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 104 (ii) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को 'नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य' के लिये निम्नानुसार यूजर चार्जेज / सफाई शुल्क (User Charges) अधिरोपित / उद्ग्रहित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उपभोक्ता प्रभार / सफाई शुल्क (User Charges) विद्युत निगम राशि पर अनुलग्नक "अ" अनुसार प्रभार्य होगा।
2. एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य हेतु उक्त दरें जयपुर एवं जोधपुर शहरों (नगर निकाय क्षेत्र) के लिए विद्युत विपत्र Billing माह सितम्बर 2012 से लागू होगा।
3. कोटा, अजमेर (किशनगढ व पुष्कर सहित), बीकानेर, व उदयपुर शहरों (नगर निकाय क्षेत्र) के लिये दरें 'एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य के कार्यादेश जारी करने के उपरांत संबंधित डिस्कॉम से चर्चा कर लागू की जायेगी।
4. अन्य जिला मुख्यालय शहरों (नगर निकाय क्षेत्र) के लिये उक्त दरें आगामी दो वर्ष की अवधि में या कार्यादेश जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी।
5. उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय होने पर अंतर राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी।
6. उक्त यूजर चार्जेज की दरें प्रत्येक दो माह के विद्युत बिल पर लागू होगी। अगर किसी कारण से विद्युत बिल दो माह से कम या अधिक अवधि का जारी किया जाता है तो उक्त यूजर चार्जेज की राशि भी आनुपातिक रूप से परिवर्तनीय होगी।

7. उक्त प्राप्त राशि को समस्त नगर निकायों द्वारा एक पृथक खाते (Dedicated Account) में रखा जायेगा एवं इस राशि का उपयोग केवल नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य के मद में ही किया जावेगा। सम्बन्धित विद्युत वितरण कम्पनियों (DISCOM) द्वारा राशि प्राप्त होने के दो माह में सम्बन्धित नगर निकाय के Dedicated Account में जमा कराना होगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त अधिसूचनानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

12/9/12

(पी.एम. खत्री)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / जालोर / चूरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ / बीकानेर / सिरोही / जैसलमेर।
- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर संभाग / बीकानेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, (   ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर / अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर / अजमेर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / पवस / टर्न–की / पीपीएम / एम.एण्डपी / बी.एफ.एल. / एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / जालोर / बाड़मेर / चूरू / बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ / जैसलमेर / सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी–ट्रे), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (नगर / जिला / पवस / एम.एम.अंकेक्षण / वाणिज्य / सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / जालोर / बाड़मेर / चूरू / बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़।
- प्राविधिक सहायक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (   ), जोधपुर डिस्कॉम,................................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

अधीक्षण अभियंता (ओ.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

अनुलग्नक 'अ'

क्र. सं.	उपभोक्ता श्रेणी		द्विमासिक बिल के आधार पर स्लेब	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु यूजर चार्जेज की दरें
1.	घरेलू उपभोक्ता	अ.	1000 रूपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब.	राशि रूपये 1001 से रूपये 2000 तक राशि वाले विद्युत बिल	100 रूपये प्रति बिल
		स.	राशि रूपये 2001 से रूपये 5000 तक राशि वाले विद्युत बिल	150 रूपये प्रति बिल
		द.	राशि रूपये 5001 से रूपये 10000 तक राशि वाले विद्युत बिल	200 रूपये प्रति बिल
		य.	राशि रूपये 10000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	300 रूपये प्रति बिल
2.	अघरेलू उपभोक्ता	अ.	1000 रूपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब.	राशि रूपये 1001 से रूपये 2000 तक राशि वाले विद्युत बिल	100 रूपये प्रति बिल
		स.	राशि रूपये 2001 से रूपये 5000 तक राशि वाले विद्युत बिल	200 रूपये प्रति बिल
		द.	राशि रूपये 5001 से रूपये 10000 तक राशि वाले विद्युत बिल	300 रूपये प्रति बिल
		य.	राशि रूपये 10,001 से 20,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	500 रूपये प्रति बिल
		र.	राशि रूपये 20,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	1000 रूपये प्रति बिल
3.	औद्योगिक मय मिश्रित भार श्रेणी उपभोक्ता	अ.	1000 रूपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब.	राशि रूपये 1001 से रूपये 10,000 तक राशि वाले विद्युत बिल	500 रूपये प्रति बिल
		स.	राशि रूपये 10,001 से रूपये 20,000 तक राशि वाले विद्युत बिल	750 रूपये प्रति बिल
		द.	राशि रूपये 20,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	1000 रूपये प्रति बिल